● Publishing Date : February 28, 2018 ● Total Number of Pages : Twenty
● Posting at Lucknow on 5th, 6th, 7th and 8th of every month
RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका
कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)
वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004
फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486
E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org
श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 28 फरवरी, 2018 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री मोहित अग्रवाल वर्ष : 14, अंक : 9

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

आलू के नए वर्ष 2018 का भण्डारण सत्र प्रारम्भ हो चुका है। फर्रूखाबाद जनपद से अच्छी लोडिंग के समाचार आ रहे है, वैसे छिटपुट छिटपुट कई जनपदो मे भण्डारण चालू है। धीरे धीरे कर के शीतगृहों मे आलू तो पहुॅच रहा है परन्तु शीतगृहस्वामी इस दुविधा मे फंसे है कि थोड़े से आलू की लोडिंग किस प्रकार कर दे। पूरे बड़े कमरे मे थोडा सा आलू रख कर बिजली का खर्च बड़ जाता है और अधिक ठंडक हो जाने कि वजह से थोड़े से रखे हुए आलू के खराब होने के चान्स (Chance) बड़ जाते है। इधर होली 1/2 मार्च से है, जिसकी वजह से लेबर मिलने मे भी परेशानी शुरू हो गई है, इस लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि आलू की लोडिंग और आवक होली के 3/4 दिन बाद से शुरू हो पाऐगी। इस समय तो किसान भी जल्दी लोडिंग के चक्कर मे नही है, वह सरकार द्वारा पुखता आलू नीति घोषित हो जाने का इन्तजार कर रहा है।

हमें अपुष्ट समाचारो से यह तो पता लग रहा है कि सरकार 646 रूपए प्रति कुन्तल का समर्थन मूल्य देने की बात कर रही है परन्तु यह स्पष्ट नही है कि आलू की किस्म क्या होगी और सरकार द्वारा कौन से साइज का आलू खरीदा जाऐगा। उत्तर प्रदेश से बाहर आलू ले जाने पर भी सरकार →

ट्रक भाड़े मे छूट की बात कर रही है, वहॉ यह भी ज्ञात हुआ है कि देश से आलू बाहर ले जाने पर 200 रूपए प्रति कुन्तल का अनुदान भी दिया जाऐगा। परन्तु हमारे पास इस सम्बन्ध मे लिखित प्रमाणित चीज कोई नही है।

अधिकारियों से बात करने पर यह भी ज्ञात हुआ है कि आलू पर से मण्डी टैक्स हटा लिया जाऐगा। यह कब से और कितने समय के लिए होगा इसका पता नही है।

इन तमाम अपुष्ट समाचारो के बाद आलू के भाव बढते जा रहे है और जहॉ तक हमारी जानकारी है इस समय 500 से 700 रूपए कुन्तल के भाव मण्डी मे चल रहे है।

आलू के भाव बढ़ने के कई कारण हो सकते है।

1. सरकारी आलू प्रोत्साहन नीति,
2. होली का पास आ जाना और
3. आलू के उत्पादन की अनिश्चिता।

जो भी हो, शीतगृस्वामियों को भण्डारण के प्रति सजग रहना पडेगा, बाजार पर निगाह बनाई रखनी पड़ेगी और जैसा कि होता आया है कि भण्डारण के समय आलू के भाव काफी बढ़ जाते है और भण्डारण हो जाने के बाद आलू के भाव ऐसे गिरते है कि वह पूरे सीजन उठ नही पाते। इस दशा मे शीतगृहस्वामियों का लोन भी फंस जाता है और भाड़ा भी संकट मे आने लगता। हमारी तो शीतगृहस्वामियों को यही सलाह है कि छररी आलू के बोरों पर बिलकुल लोन ना दे और लोन की प्रक्रिया आलू की स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद ही शुरू करे। आलू की सही स्थिति 8/10 मार्च से पहले नही पता लग सकती। इस समय तक खेतो पर लेबर होली मनाने के बाद लौटे हो चुकी होगी और खुदाई तेजी से चल रही होगी, सरकार की आलू नीति भी स्पष्ट हो जायेगी।

हमें ज्ञात हुआ है कि 21 और 22 फरवरी को लखनऊ मे यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 के अन्दर आलू आधारित उद्योगो के कई प्रस्ताव आए है। अनेक उघोगपतियो ने आलू आधारित उद्योग लगाने मे अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आशा है आने वाले वर्षों में भण्डारित आलू की खपत के बारे मे शीतगृहस्वामी आश्वस्त हो सकेगे।

लखनऊ मीटिंग के सम्बन्ध में :

जैसे कि हर वर्ष जनवरी के अन्त या फरवरी के शुरू मे हम कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मीटिंग करते है उसी क्रम में इस वर्ष भी 1 फरवरी को होटल Lineage लखनऊ में मीटिंग रखी गई थी जिसमे काफी बढ़ी संख्या मे सदस्यो ने उपस्थित हो कर अपने उत्साह को दिखाया। यह मीटिंग का मुख्य उददेश्य तो वर्ष के भन्डारण प्रभार के बारे मे सलाह देना होता है, इसके साथ फसल की सही जानकारी ली जाती है वा भण्डारण मे आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा होती है। जैसा कि आप सब जानते है कि वर्ष 2017 मे शीतगृहस्वामियों को तो भारी नुकसान उठाना ही पड़ा

→

इसके साथ साथ भण्डारणकर्ताओ को भी काफी नुकसान हुआ। इस को देखते हुए इस मीटिंग मे यह निश्चित किया गया की भण्डारण प्रभार मे कोई बडडोत्तरी ना की जाए। यद्यिपि कुछ सदस्य बढते हुए खर्चो को निगाह मे रखते हुए थोड़ा बहुत भण्डारण प्रभार बढ़ाने में इच्छुक थे परन्तु सब बातो को ध्यान मे रखते हुए यही उचित समझा गया कि भण्डारण प्रभार ना बढ़ाया जाए और खर्चो में होने वाली बढ़ोत्तरी को शीतगृहस्वामी वहन करे। बाद में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान लिया गया। यहाँ हम इस मीटिंग के कुछ चित्र प्रस्तुत कर रहे है।

बायें से दायें : श्री मोहित अग्रवाल, सचिव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, श्री वीरेन्द्र सिंह, सचिव, पूर्वी उत्तर प्रदेश, श्री राजेश गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री महेन्द्र स्वरूप, अध्यक्ष मीटिंग को सम्बोधित करते हुए, श्री त्रिलोचन सिंह सलूजा, रीजनल कोआर्डिनेटर, पूर्वी उत्तर प्रदेश।

मीटिंग में आये सदस्यगण अध्यक्ष के सम्बोधन को सुनते हुए।

आलू की बम्पर पैदावार :

आलू की पैदावार के बारे मे अभी तक हमे सही समाचार नही मिल पाए है फिर भी आप से बातचीत करने से वा समाचारो पत्रो को पढने से यही लगता है कि इस वर्ष भी आलू की पैदावार काफी अच्छी है।

इसी संदर्भ में हम अमर उजाला मे छपी एक खबर को प्रस्तुत कर रहे है। यह दिनांक 20 फरवरी को छपी थी। इस खबर को हमारे पास श्री रवि फरसाइया, फरसाइया कोल्ड स्टोरेज, फिरोजाबाद ने भेजा है।

''हाइब्रिड आलू की बंपर पैदावार से आलू किसान खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। वहीं कुछ किसान पिछले वर्ष आलू की दुर्दशा को लेकर सोचने भर से सिहर उठे हैं। उनके मन में बजट के मुताबिक उम्मीदें पूरी होने को लेकर शंका है।

विगत वर्ष आलू की फसल से बर्बाद हुए आलू किसानों ने इस उम्मीद के साथ आलू की फसल बोई कि शायद उनकी इस बार की फसल उनके नुकसान की भरपाई करेगी। इस बार किसानों की फसल उम्दा हुई है। आलू किसान अपनी हाइब्रिड आलू की फसल देख फूले नहीं समा रहे। किसान सोहन सिंह बताते हैं कि क्षेत्र में कई नए कोल्ड खुलने से भी किसान निश्चिंत हैं। उन्हें भरोसा है कि उनका आलू खेतों में नहीं सड़ेगा और कोल्ड में जगह मिलेगी। वहीं बड़े आलू किसान देवेंद्र सिंह तोमर, जगन सेठ, अमरसिंह सोलंकी ने कहा सरकार को आलू के निर्यात पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा बंपर पैदावार से किसान को एक चिंता यह भी है कि कहीं पिछली फसल की बरबादी न हो। ऐसे आलू किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए शासन को आलू के निर्यात की व्यवस्था करनी चाहिए। ताकि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलने के साथ वे फसल बरबादी पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर न हों।''

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के सम्बन्ध में :–

भण्डारण सत्र 2018 का शुरू हो चुका अतः आपको उपरोक्त अधिनियम के बारे मे कुछ जरूरी जानकारियाँ दे रहे हैं। यद्यपि हम कई बार अधिनियम के बारे में अपनी पत्रिका मे लिख चुके है परन्तु फिर भी इन नियमों को जानते रहना जरूरी है।

धारा 17

कोल्ड स्टोरेज मे माल खराब होना और उसका निस्तारण

(1) जब कभी किसी कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किया गया माल ऐसे कारण से जो लाइसेन्सधारी के नियंत्रण से परे हो, खराब होने लगे या उसके खराब हो जाने की संभावना हो, या किरायादाता कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किये गये माल को रसीद मे उसके लिये विनिर्दिष्ट दिनांक से, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर न उठाये तो लाइसेन्सधारी किरायादाता को तुरन्त उसका नोटिस देगा जिसमें →

उससे सम्यक रूप से उन्मोदित रसीद अभ्यर्पित करने और लाइसेन्सधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करने के पश्चात माल को तुरन्त उठाने की अपेक्षा की जायेगी, और ऐसे नोटिस की एक प्रति लाइसेन्स अधिकारी को भेजेगा।

(2) जहाँ किरायादाता उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का पालन उसे तामील किये जाने के दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर न करे वहां लाइसेन्सधारी माल को कोल्ड स्टोरेज से हटवा सकता है और उसे किरायादाता के खर्च और जोखिम पर सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिकवा सकता है : परन्तु लाइसेन्सधारी लाइसेन्स अधिकारी को ऐसी बिक्री की सूचना बिक्री के कम से कम अड़तालीस घण्टे पूर्व देगा, और लाइसेन्स अधिकारी ऐसी बिक्री का पयवेक्षण या तो स्वयं या अपने द्वारा उस निमित प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से करेगा।

स्पष्टीकरण सूखा या संकुचन द्वारा तौल या भार मे कमी या नही सोखने के कारण तौल या भार मे वृद्धि को इस धारा के अर्थान्तर्गत खराब होना समझा जायगा, यदि उक्त कमी या वृद्धि ऐसी सीमा से अधिक हो, जिसे लाइसेन्स अधिकारी समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए गजट मे अधिसूचना प्रकाशित करके निश्चित करें।

3. यदि नमी सोखने या अन्य कारण से कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किये गये कृषि उत्पाद की तौल या भार अधिक हो जाय तो लाइसेन्सधारी ऐसे आधिक्य का हकदार न होगा।

माल का परिदान

धारा 19 – (1) प्रत्येक लाइसेन्सधारी किरायादाता द्वारा या उसकी ओर से मांग किये जाने पर कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किये गये माल का परिदान करेगा, परन्तु किरायादाता रसीद अभ्यर्पित करें और लाइसेन्सधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करे।

(2) लाइसेन्सधारी को इस प्रकार अभ्यर्पित प्रत्येक रसीद विरूपित कर दी जायेगी और पुनःजारी नही की जायेगी।

(3) पक्षकारों के मध्य किसी करार के अधीन रहते हुए, किरायादाता कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किये गये माल का परिदान आशिंक रूप ले सकता है, और प्रत्येक ऐसे मामले मे लाइसेन्सधारी रसीद पर उसका आवश्यक पृष्ठांकन करके उसे किरायादाता को लौटा देगा। →

लाइसेन्सधारी का स्वत्व

धारा 20 – प्रत्येक लाइसेन्सधारी जिसका कब्जा अपने कोल्ड स्टोरेज मे माल पर हो, उस समय तक उस पर कब्जा रखने का हकदार होगा जब तक कि धारा 19 के अनुसार उसकी रसीद अभ्यर्पित न कर दी जाय और आवश्यक प्रभार का सम्यक् भुगतान न कर दिया जाय।

लाइसेन्सधारी कोल्ड स्टोरेज मे रखे गये माल को किरायादाता के प्राधिकार के बिना न गिरवी रखेगा और न उसके सम्बन्ध मे कोई व्यवहार करेगा।

धारा 21 – कोई लाइसेन्सधारी किरायादाता के लिखित प्राधिकार के सिवाय कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किये जाने के लिये प्राप्त माल को न तो गिरवी रखेगा और न किसी अन्य प्रकार से उसके सम्बन्ध मे कोई व्यवहार करेगा।

किरायादाता के उधार पर ब्याज की दर

धारा 22 – यदि लाइसेन्सधारी कोल्ड स्टोरेज मे किरायादाता द्वारा स्टोर किये गये किसी माल पर किसी किरायादाता को कोई धन उधार दे तो ब्याज की दर, किसी भी दशा मे, उधार देते समय ऐसे ही प्रयोजनो के लिए स्टेट बैक ऑफ इण्डिया द्वारा अपने पक्ष मे गिरवी रखे गये माल के सम्बन्ध मे ली जाने वाली चालू ब्याज की दर के अतिरिक्त एक प्रतिशत के आधे प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अधिक नही होगी।

धारा 29 – का प्रतिस्थापन

(3) मूल अधिनियम को धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात –

अधिकतम प्रभार

29 (1) प्रत्येक लाइसेंसधारी समय–समय पर कोल्ड स्टोरेज मे कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिए या उसके संबंध मे की गयी किसी अन्य सेवा के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित करेगा और विभिन्न कृषि उत्पाद के लिए विभिन्न प्रभार निश्चित किये जा सकते है।

(2) प्रत्येक लाइसेंसधारी उपधारा (1) के अधीन निश्चित प्रभार कोल्ड स्टोरेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर या उसके निकट प्रदर्शित करेगा ओर उसकी एक प्रति लाइसेंस अधिकारी के कार्यालय मे भी देगा।

(3) यदि राज्य सरकार की राय हो कि उपधारा (1) के अधीन किसी लाइसेंसधारी द्वारा निश्चित प्रभार अयुक्तियुक्त अधिक है तो उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे लाइसेंसधारी के सम्बन्ध मे उपधारा (1) के प्रयोजनो के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित कर सकती है ओर राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निश्चित प्रभार उस वित्तीय वर्ष जिसमे निश्चित किये जाय, के शेष भाग के लिए प्रभावी होंगे।

→

बीमा

धारा 23 – प्रत्येक लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किये गये कृषि उत्पाद का आग, टूट–फूट (चाहे वह यात्रिक या अन्य प्रकार का हो) या ऐसे ही अन्य कारण से होने वाली हानि या क्षति के लिये बीमा कराये।

प्रतिकर सम्बन्धी विवाद लाइसेन्स अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

धारा 25 – (1) धारा 24 के अधीन लाइसेन्सधारी द्वारा देय प्रतिकर सम्बन्धी प्रत्येक विवाद लाइसेन्स अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा, और धारा 36 के अधीन अपील के यदि कोई हो, परिणाम के अधीन लाइसेन्स अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।

(2) जब लाइसेन्स अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) के अधीन लाइसेन्सधारी द्वारा देय किसी प्रतिकर का भुगतान उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक से या, यथास्थिति, धारा 36 के अधीन अधिकरण के विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर नहीं किया गया है तब वह कलेक्टर को वसूली का प्रमाण –पत्र जारी करेगा, और कलेक्टर वसूली के खर्च सहित ऐसे प्रतिकर की राशि को भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा और वसूल की गयी राशि का भुगतान, उसमें से खर्च काटने के पश्चात, किरायादाता को करेगा।

रसीद देने का कर्त्तव्य

धारा 32 – प्रत्येक लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद के लिये विहित प्रपत्र में रसीद देगा।

कोल्ड स्टोरेज की रसीद पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी

धारा 33 – धारा 32 में निर्दिष्ट रसीद, जब तक कि उसमें अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी और यथा समय उसका धारक उसमें विनिर्दिष्ट माल प्राप्त करने का हकदार होगा मानों वह मूल किरायादाता हो।

रसीद की दूसरी प्रति

धारा 34 – यदि कोई रसीद खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय तो लाइसेन्सधारी किरायादाता द्वारा आवेदन पत्र और विहित फीस देने पर, ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो विहित की जाय, रसीद की दूसरी प्रति जारी करेगा।

→

गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन के सम्बन्ध में :–

श्री आशीष गुरू, की अध्यक्षता में गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। हर वर्ष वह स्थान बदल–बदल कर मीटिंग करते हैं। इस वर्ष यह मीटिंग उदयपुर में बड़े धूमधाम से सम्पन्न की गई। श्री आशीष गुरू व उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। हम उनकी मीटिंग का एक चित्र यह प्रस्तुत कर रहे हैं।

सयुक्त सचिव कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की नियुक्ति :

हमने

श्री अनुग्रह नारायण
मनसा कोल्ड स्टोरेज
दुर्गापुर बाजार, जनपद–अमेठी,
(उत्तर प्रदेश)
मोबाइल : 9935670456
ई मेल : anugrah.mshr@gmail.com

को कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है।

श्री अनुग्रह नारायण दोनों सचिवों, पूर्वी उत्तर प्रदेश सचिव व पश्चिमी उत्तर प्रदेश सचिव के कार्यों में सहायता करेंगे व हमारे कार्यों में भी लखनऊ में सहयोग देते रहेंगे।

आप काफी चुस्त, दुरस्त है। अतः आशा है कि यह अपने कार्य की जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निभा सकेंगे। →

U.P. Warehousing and Logistics Policy 2018 :

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा U.P. Warehousing and Logistics Policy 2018 की घोषणा की गई है। इसके सम्बन्ध में हमने सरकार को एक पत्र भेजा है जिसमें शीतगृहों की समस्याओं का वर्णन किया है।

हमें आशा है कि नई पालिसी शीतगृहों के लिए लाभदायक होगी।

GS118/CSA27/36/2018 February 8, 2018

Shri Anup Chandra Pandey, I.A.S.
Infrastructure and Industrial Development Commissioner, U.P.
34, Lal Bahadur Shastri Bhawan, Annexe Building,
Lucknow (Uttar Pradesh)
Phone : 0522-2238283, 0522-2238444

Dear Sir,

Subject : UP Warehousing and Logistics Policy 2018
Reference : Your letter no. DO Letter No.27/IIDC/2018 dated 03 February, 2018

By going through the draft of UP Warehousing and Logistics Policy 2018, we are very much pleased and encouraged that such type of steps are being taken by our State Government.

Instead of reducing the production of agri-crops Government is concentrating on the expansion of Warehouses and Logistics Hubs. This should definitely promote new markets of the products stored by Warehouses and Cold Storages.

Various products like food grains, spices and different types of fruits and vegetables are wanting suitable storage capacities. During these days, we have got sufficient storage space for potato only.

At present lack of demand of various stored food products is hampering the progress of development in Warehousing and Cold Chain. New Logistics Policy would definitely help in giving new markets to the stored products. If more demand is there, Government will not have to call the Industry to come, but it would develop by itself.

It shall not only help the Industry but would benefit the growers of all type of produce. It will contribute in increasing the income of farmers and achieving the target of our beloved Prime Minister in doubling the income of farmers by the year 2022.

→

Our suggestions regarding Cold Chain Industry are as under :

1. It should be provided subsidy on installing Solar Plants for Cold Storages.
2. It should be relieved from Red Tapeism and Licence Raj. Cold Storages have got to take Licence for installing and running the Cold Storage. Further, Licences are renewed every year or after an interval of 4/5 years, but the Licensing Procedure has got to be adopted every year.
3. Although cold storages come under non-polluting industry but are to take No Objection Certificate from the Pollution Department every year, after depositing the Annual Fee.
4. There are no clear guidelines regarding Fire Fighting Equipment to be installed in the Cold Storages. Every Fire Officer is free to impose restrictions depending on his sweet wishes. Multi-storied building above 15 metre height norms are imposed on Cold Chain Industry, with numerous equipments, which we feel that not even Fire Department might be possessing.
5. The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act, 1976 which is quite old and redundant has become almost useless. This Act was made for Cold Storages depending on storage of potato only, but under the present conditions, things have entirely changed. Various other products are being stored. Designs of Building and Machinery have also changed.

Under these conditions, Cold Storages are feeling much more harassed which is sending a wrong message to other States regarding the Industrial Policy of Uttar Pradesh. When a harmless Industry like Cold Storage (Preservation) is undergoing such type of Red Tapeism what shall be the fate of new industrial units.

We highly appreciate that New Policy would bring Single-Window, time bound clearances, simplify procedures, ease of Commercial Business and Industrial Security in real practice and not on paper only.

Thanking you,

Yours faithfully
for **COLD STORAGE ASSOCIATION U.P.**

(MAHENDRA SWARUP)
PRESIDENT

West Bengal Cold Storage Association की वार्षिक मीटिंग के सम्बन्ध में :–

दिनांक 31 जनवरी, 2018 को West Bengal Cold Storage Association ने अपना 53 वार्षिक मीटिंग सम्पन्न करी। West Bengal Cold Storage Association बहुत ही सूचारू रूप से कार्य कर रही है और अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखने में काफी सक्ष्म साबित हो रही है। वर्ष 2018 के लिए एसोसिएशन ने नए अध्यक्ष का चयन भी कर लिया है। अब श्री गोबिन्द काजरिया, अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए गए है। श्री कजरिया अभी तक उपाध्यक्ष थे। बहुत ही अनुभवी व कर्मठ कार्यकर्ता है। हमें पूरी आशा है इनकी अध्यक्षता में एसोसिएशन और आगे बढ़ेगी। इनसे पहले श्री पतित पबन डे, कार्यरत थे। वार्षिक मीटिंग के दो चित्र हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है।

(Sitting Middle) Shri Tarun Kanti Ghosh - Vice-President & Shri Gobind Kajaria - President along with Committee Members, District Chairman & Ex-President of West Bengal Cold Storage Association.

Shri Tarun Kanti Ghosh - Vice-President, Dr. Pradip Kumar Majumdar - Chief Agriculture Advisor to Hon'ble Chief Minister, Shri Gobind Kajaria - President, Shri Patit Paban De, Ex-President & Shri Rajesh Kumar Sinha - Secretary Department of Agricultural Marketing Government of West Bengal

Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy 2018 :

Salient points of the policy :

With emergence of new technologies, new customer expectations and new business models, the logistics industry is rapidly expanding round the globe.

Taking forward the Make in India vision of Government of India, the State of Uttar Pradesh has already launched Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2017 and Food Processing Industry Policy 2017 to create a supporting ecosystem for investments in industries and related infrastructure such as warehouses, cold storages, silos, etc. Therefore, the State is committed towards strengthening its foothold in the logistics sector.

Since Uttar Pradesh is the third largest economy contributing nearly 8% to India's GDP and largest consumer base with over 200 million population, the logistics industry has set its foot to grow in the State. There has been 13.26% growth in exports (CAGR) recorded in the State in last 5 years (2012-17). With a strong agriculture and food processing base in India, UP is amongst top 5 manufacturing States in India and has second highest number of MSMEs (organized & unorganized) in India.

1. Eligibility :

1) This policy will come into effect on the date of its notification and will remain in force for the period of 5 years.
2) If at any stage a situation arises which necessitates any amendment or supersession of the policy, only the cabinet will be authorised to approve such amendments/ supersession.
3) In case of any amendment in this policy, if any package of incentives is already committed by the state government to any unit, will not be withdrawn and the unit will continue to remain entitled to the benefits.

2. Private Sector Logistics Park

Government of Uttar Pradesh will provide incentives to Logistics Parks developed on more than 100 acres of land area to be developed in a time span of 4 years from the date of allotment of land. The new logistics park will be given following incentives on lines of those provided under UP IIEP Policy 2017.

2.1. Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of up to 50% of annual interest on the loan taken to buy land, calculated on the basis of prevalent circle rate, for 7 years subject to a maximum ceiling of INR 50 lacs/per annum/per logistics park (including ICDs, CFSs, etc.)

2.2 Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of up to 60% of annual interest for 7 years on the loan taken for building common logistics services and supporting infrastructure at the logistics parks subject to maximum limit of INR 1 crore per year with an overall ceiling of INR 10 crore per logistics park.

2.3 The developer shall be eligible for 100% exemption of stamp duty paid on purchase of land for building the logistics park. →

2.4 100% Electricity duty exemption for first 7 years.

2.5 10% exemption on vehicle registration fee will be applicable on purchase of minimum fleet of 100 vehicles for common purposes with minimum load capacity of atleast 10MTs per vehicle. Also, 50% of Road Tax will be exempted on purchase of such vehicles.

2.6 50% cost of qulity certification upto maximum INR 5 lacs in a year will be reimbursed.

Other incentives would be provided on case to case basis as prescribed by Government of Uttar Pradesh.

3. Land Allotment Framework

In order to set up logistics units such as Warehouses, cold storages, etc, or to develop multimodal hubs, following incentives will be provided for land allotment.

3.1. The requirement of land shall be assessed by the concerned Development Authority/ UPSIDC in consultation with the concerned unit developer, as the case may be.

3.2. Particularly, for setting up Warehouses, Silos and Cold Storages, the development authority/ UPSIDC will identify land at or in proximity to Agro Parks in the State.

3.3. In addition to this, atleast 25 acres of land in minimum 15 districts will be identified and developed as 'Free Trade & Warehousing Zones' (FTWZ) for setting up warehouses, cold storages and silos.

3.4. Similarly, for setting up Inland Container Depots the development authority/UPSIDC will identify land at suitable locations in cognizance with the survey to be commissioned by the State for identifying logistics hubs (Refer Para 1.5 and 1.6)

3.5. The allottee shall have to file an affidavit before allotment of land for logistics facilities stating that in case the allotted land is not used towards the stated purpose within stipulated time frame as mentioned above, it shall be liable for cancellation of allotted land or plot and the premium amount shall be forfeited.

3.6 Since the land is being allotted at concessional rate under this policy, therefore the company is not entitled to resale/transfer of land/sub-lease, unless otherwise it is permitted under this policy.

3.7. In case the company gives up the idea of setting up the unit, they would have to surrender the land to the concerned land allotting agency at its original cost. No interest or premium for intervening period shall be allowed.

4. Food Storage Infrastructure Fund (FSIF) :

Lying along the fertile plains of Ganges, Uttar Pradesh is primarily an agrarian economy. Industries in the State are largely based on agriculture. Thereby, so as to cater to the growing demand for storing agricultural commodities, Government of Uttar Pradesh will set up a dedicated fund of INR 1000 crores for construction, modernization and augmentation of warehouses, silos, cold storages and other cold chain infrastructure in rural areas as prescribed by the State Government.

4.1. **Eligibility -** Private Construction Projects with minimum capacity of 5000 MT will be eligible for benefits under the fund. Only modernization projects selected by State →

Wareshousing Corporation will be eligible for benefits under the fund.

4.2. Both public and private sector projects will be covered by the fund, as prescribed by Government of Uttar Pradesh. Units getting benefits under this Fund, shall not be eligible for credit linked capital subsidy or business guarantee given under this policy.

6. Ease of business

Taking forward the vision and mission of State's Industrial Infrastructure and Employment Promotion (IIEP) Policy, 2017, this policy also ensures ease of doing business in the State.

6.1. **Single Window -** All required approvals to defence manufacturing units shall be provided under one roof through single window system by NIVESH MITRA. For this, a dedicated Nodal officer shall be provided to each unit.

6.2. **Time bound clearances -** Providing speedy and time bound clearances is one of the prime intention of this policy. Towards this goal, the GoUP will regularly review all its existing acts, rules and procedures related to industrial services/ clearances/ approvals/ permissions/ licenses and wherever possible.

6.3. **Simplifying procedures -** This policy ensures to rationalize existing regulatory regime and simply procedures by supporting self-certification, deemed approval and third party certification.

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित